FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

रामनिवास बनाम तहसीलदार

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र 128 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट मु नं. 68 सन् 2022 जीसीएमएस नं.

	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
22	रिपोर्ट सरिस्ता होकर प्रार्थना पत्र पेश हुई। प्रार्थी स्वयं उपस्थित। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 07.02.2022 को पेश हो। (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	
	7/2 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज [illegible] कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 20/4/22 को पेश हो।	
	20/4/22 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. P.O सा. दौरे पर हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 11/5/22 को पेश हो।	
	11/5/22 पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थी बावजूद [illegible] तामील अनुप०। (एक पक्षीय कार्यवाही) अमल में लायी जाती है वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 18/5/22 को पेश हो।	
	18/5 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 23/5/22 को पेश हो।	
	23/5/22 पत्रावली पेश हुयी। बहस एक पक्षीय सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय दि० 30/05/22 को पेश हो।	

Scanned with OKEN Scanner

30/5/2022 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में बहस एकपक्षीय पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया था कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी के आदेश पारित किये जावे। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थी संयुक्त खातेदार दर्ज है। अतः अन्य सहखातेदारान व पडौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किये जाने योग्य है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पाटन को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम दलपतपुरा तहसील पाटन स्थित भूमि खसरा नंबर 421 रकबा 0.06 हैक्टे0, 422 रकबा 0.01 हैक्टे0, 423 रकबा 0.33 हैक्टे0, 424 रकबा 0.68 हैक्टे0 की प्रार्थी, अन्य सहखातेदारान एवं पडौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान 22.10.2021 उक्त खसरा नम्बरान की चतुर्दिक सीमाओं पर पत्थरगढी की जावे। दौराने पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नही की जावें। तहसीलदार पाटन को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner